

10.5.18 पञ्जाबली राजस्व लोक अदालत अधीन न्याय
 आपके द्वार-2018 में अदालत सेवा निष्ठ कोसरीना
 में पेश हुई। गारदारी मंवरलाल उषाई
 मजमें आम में सुना जाया एवं पञ्जाबली
 का अवलोकन किया गया तो मापिया
 रवातेदार को पाबन्द करवाने की आवश्यकता
 नहीं है। इस सम्बन्ध में इस न्यायलय द्वारा
 मि० न० 39/98 में पूर्व में दि० 18/1/97 को भी
 T.I. रवातेदार को सुनी है। अतः प्रार्थना कि
 सिद्ध नहीं होने से रवातेदार किया गया।
 पञ्जाबली फैसल सुमार होकर दर्ज नाबन्द से
 कर हो। अदालत मजमें आम में सुनाया जाया।
 प्रा० पत्र 022 म-4 पर भी सुना जाकर लोक अदालत
 की भावना से स्वीकार कर T.I. प्रा० पत्र में सुनी
 काउ के स्वयं पर मोहनलाल एवं किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
 साबरलेक